Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA

[L.D. Appeal No.- 120/2024]

Tahzib Alam & Ors. .....Appellants

Versus

Md. Raisuddin & Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	22.9.2025	**आदेश** यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा B.L.D.R. Case No.-57/2023-24 में दिनांक-12.3.2024 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। इस वाद की सुनवाई में अपीलार्थी के लगातार कई तिथियों को अनुपस्थित रहने के आलोक में दिनांक-19.8.2025 को विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के बहस/Final Argument को सुना। तथा अपीलार्थी को अगली सुनवाई में अपना बहस/Final Argument करने का अंतिम मौका दिया गया। इसके बावजूद अपीलार्थी अनुपस्थित रहे एवं तदनुसार इस अपील वाद में दिनांक-19.8.2025 को पारित आदेश के आलोक में दिनांक-12.9.2025 को उपस्थित पक्ष की सुनवाई कर आदेश सुरक्षित किया गया। तथा उभय पक्ष को एक सप्ताह के अन्दर लिखित बहस दाखिल करने का समय दिया गया। किसी भी पक्ष की ओर से लिखित बहस दाखिल नहीं किया गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थीगण का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षीगण का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। अपीलार्थीगण का दावा है कि वे प्रश्नगत जमीन के खतियानी रैयत के वंशज हैं एवं तदनुसार प्रश्नगत जमीन पर उनका अधिकार बनता है। तथा यह कि विपक्षीगण द्वारा अवैध रूप से उनके जमीन पर कब्जा/अतिक्रमण किया जा रहा है। विपक्षीगण का कहना है कि उनके द्वारा प्रश्नगत जमीन खेसरा-1660 एवं 1661 के खतियानी रैयत (Title Holder) से दो केवाला वर्ष-1969 से प्राप्त है तथा खेसरा-1660 रकवा-3 डी. 5 कड़ी वासगित पर्चा से प्राप्त है। इसके अतिरिक्त B.T.Act के धारा 48D के तहत भी उनके पक्ष में सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है। एवं तदनुसार प्रश्नगत जमीन पर विपक्षीगण का कानूनी अधिकार Establish होता है। तथा यह कि प्रश्नगत जमीन विपक्षीगण के लगातार दखल-कब्जा एवं उपयोग में वर्षो से रहा है। किन्तु हाल में खतियानी रैयत के वंशजों द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर विवाद उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि निम्न न्यायालय के स्तर से उपरोक्त कानूनी बिन्दुओं तथा अंचल अमीन की संयुक्त टीम के मापी प्रतिवेदन के आधार पर आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है। अभिलेख में रक्षित कागजातों- वाद पत्र, विपक्षीगण का Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रश्नगत जमीन विपक्षीगण को विधिमान्य केवाला तथा अंश वासगित पर्चा से प्राप्त है। तथा लंबी अवधि से उनके दखल कब्जा एवं उपयोग में रहा है। निम्न न्यायालय के स्तर से कराये गये अमीनों के संयुक्त मापी प्रतिवेदन से भी उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि होती है। सुनवाई में अपीलार्थीगण की ओर से विपक्षीगण द्वारा दाखिल अभिकथन एवं संगत तथ्यों को Negate करने हेतु संगत साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया जा सका है। सुनवाई में अपीलार्थीगण के स्तर से प्रश्नगत जमीन पर किये जा रहे अपने दावे/अभिकथन के संदर्भ में अकाट्य साक्ष्य उपस्थापित नहीं किया गया	

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

	22.9.2025	है। इस अपील वाद की सुनवाई में न्यायालय के आदेश के बावजूद लगातार अनुपस्थित रहने से ऐसे मानने का पर्याप्त आधार बनता है कि अपीलार्थीगण का इस वाद की सुनवाई में अभिरूची नहीं है। निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों एवं कानूनी बिन्दुओं की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। जो विधिसम्मत है। सुनवाई में अपीलार्थीगण अपने Case को Establish करने में विफल रहे हैं। अतः तदनुसार इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। Brajesh K. 22/9/2025. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया लेखापित एवं शुद्धित। Brajesh K. 22/9/2025. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया	